रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2011/पौष 20, 1932

No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2011/PAUSA 20, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2011

(आयकर)

का.आ. 34(अ).—जबकि, सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) सदस्य राज्यों, जिनमें बांगलादेश लोक गणराज्य, किंगडम ऑफ भूटान, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, किंगडम ऑफ नेपाल, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य एवं श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य शामिल हैं, की सरकारों के मध्य कर मामलों में दोहरे कराधान के परिहार और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए संलग्न करार जो ढ़ाका, बांग्लादेश में दिनांक 13 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षरित हुआ था, उक्त करार के अनुच्छेद-16 के अनुसरण में सभी सदस्य राज्यों द्वारा किए गए परिशोधन, जहां भी लागू हो, सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में सार्क सचिवालय द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2010 को जारी की गई अधिसूचना के तीसवें दिन दिनांक 19 मई, 2010 को प्रवृत्त होगा ।

अत:, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध 1 अप्रैल, 2011 से भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

[फा. सं. 500/96/97-वि.क.प्र.-II/अधिसूचना सं. 3/2011-वि.क.प्र. II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

अनुबंध

कर संबंधी मामलों में दोहरे कराधान के परिहार और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के संबंध में सार्क लिमिटेड बहुपक्षीय करार

प्रस्तावना

सार्क (क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ) सदस्य राज्यों की सरकारें, जिनमें बंगलादेश लोक गणराज्य, भूटान किंगडम, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, नेपाल किंगडम, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य शामिल हैं ;

सार्क सदस्य राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर संबंधी मामलों में दोहरे कराधान के परिहार तथा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद - 1

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "सदस्य राज्य" पद से अभिप्रेत है - **अनुसूची - I** में उल्लिखित राज्यों में से एक राज्य ;

(ख) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित सदस्य राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;

(ग) "कर" पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, **अनुसूची - II** के अनुसार सम्मिलित कर,

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है, अनुसूची - III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ;

(ड.) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है किसी सदस्य राज्य की राष्ट्रिकता को धारण करने वाला कोई व्यष्टि ; और

(च) "वित्तीय वर्ष" पद का अर्थ उस वर्ष से है, जैसाकि **अनुसूची -IV** में परिभाषित किया गया है ;

2. किसी सदस्य राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस सदस्य राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है और यह अर्थ उस सदस्य राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस सदस्य राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 2

करार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो एक या अधिक सदस्य राज्यों के निवासी हैं, जिनके संबंध में यह करार अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रवृत हुआ है ।

अनुच्छेद - 3

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार सदस्य राज्यों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा अदा की जाने वाली अथवा अदा किए जाने वाली समझी गई मजदूरियों अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे **अनुसूची - II** में सूचीबद्ध हैं ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में सार्क सचिवालय को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक सदस्य राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस सदस्य राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें सदस्य राज्य और उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस सदस्य राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में ही उस सदस्य राज्य में कर लगाया जा सकता हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि एक या अधिक सदस्य राज्य का/की निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस सदस्य राज्य का/की एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे एक से अधिक सदस्य राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उसी सदस्य राज्य का/की एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस सदस्य राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका किसी सदस्य राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उसी सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन एक से अधिक सदस्य राज्य में रहता/रहती हो अथवा उनमें से किसी भी सदस्य राज्य में नहीं रहता/रहती हो, तो वह केवल उसी सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा/जाएगी जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह एक से अधिक सदस्य राज्य का/की राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का/की भी राष्ट्रिक नहीं है तो संबंधित सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति एक से अधिक सदस्य राज्यों का निवासी हो, वहां वह केवल उस सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है । यदि उस सदस्य राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, तो संबंधित सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

सूचना का आदान - प्रदान

1. सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना, जिनमें दस्तावेजों और सार्वजनिक दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं, का आदान -प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों या सदस्य राज्यों के देशीय कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल न हो । किसी भी सदस्य राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस सदस्य राज्य के देशीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबंधित हों, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी सदस्य राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना मुहैया कराना, जिनमें दस्तावजों और सार्वजनिक दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं, मुहैया कराना जो उस अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;

(ग) ऐसी सूचना मुहैया कराना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के (ऑर्डर पब्लिक) प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद - 6

करों की वसूली में सहायता

1. सदस्य राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे की सहायता करेंगे । सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि को परस्पर सहमति द्वारा तय करेंगे ।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य करार में शामिल किए गए करों के संबंध में ब्याज, अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा ऐसी राशि से संबंधित संरक्षण के संबंध में करों पर देय राशि से है ।

3. जब किसी सदस्य राज्य का राजस्व दावा उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा और उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे सदस्य राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे सदस्य राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा ।

4. जब किसी सदस्य राज्य का राजस्व दावा वह दावा होता है, जिसके संबंध में वह सदस्य राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है, तब उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा सदस्य राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।

5. किसी सदस्य राज्य के अनुरोध पर इस अनुच्छेद के उपबंधों को तभी लागू किया जाएगा जब उस सदस्य राज्य के देशीय कानूनों के अंतर्गत वसूली के सभी अनुमेय उपायों को अपना लिया गया हो।

6. पैराग्राफ़ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस सदस्य राज्य में किसी समय - सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य में दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।

7. किसी सदस्य राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाहियों को केवल उस सदस्य राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे सदस्य राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।

8. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी सदस्य राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य से संबंधित राजस्व दावे को दूसरे सदस्य राज्य में वसूल करने और प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस सदस्य राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता ; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह सदस्य राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है; प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य की दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे सदस्य राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित अथवा हटा लेगा ।

9. इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ दोनों में से किसी भी सदस्य राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस सदस्य राज्य अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के असंगत प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसे उपाय करना जो सरकारी नीति (ऑर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे सदस्य राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथाओं के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस सदस्य राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे सदस्य राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हों ।

अनुच्छेद - 7

दस्तावेजों का आदान-प्रदान

1. आवेदक सदस्य राज्य के अनुरोध करने पर वह सदस्य राज्य जिससे अनुरोध किया गया है, दस्तावेज एवं सार्वजनिक दस्तावेज जिनमें न्यायिक निर्णयों से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं, जो

आवेदक सदस्य राज्य से प्राप्त हुए हैं और जो इस करार में सम्मिलित किए गए कर से संबंधित हैं, को प्रेषिती को प्रस्तुत करेगा ।

2. वह सदस्य राज्य जिससे अनुरोध किया गया है, सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा :

(क) मूल रूप से इसी स्वरूप के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए इसके देशीय कानूनों द्वारा निर्धारित विधि द्वारा ;

(ख) आवेदक सदस्य राज्य द्वारा अनुरोध किए गए विशेष विधि द्वारा, सम्भाव्य सीमा तक अथवा इसके अपने कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध ऐसी विधि की निकटतम सीमा तक ।

3. एक सदस्य राज्य दूसरे सदस्य राज्य के किसी व्यष्टि को दस्तावेजों का आदान - प्रदान डाक द्वारा सीधे करेगा ।

4. करार में ऐसा कुछ भी अप्रमाणिक नहीं समझा जाएगा जो किसी सदस्य राज्य द्वारा इसके कानूनों के अनुसरण में दस्तातेजों के किसी प्रकार के आदान - प्रदान को अमान्य ठहराता हो ।

5. जब कोई दस्तावेज इस अनुच्छेद के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है और यह अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके साथ भेजा जाना चाहिए ।

अनुच्छेद - 8

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्त्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्त्ता जो दोनों में से किसी एक सदस्य राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरी इसी तरह की संस्था जो दूसरे सदस्य राज्य में मान्यता प्राप्त हो, में मात्र अध्यापन करने अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों के लिए उस सदस्य राज्य का कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दौरा करता है और जो इस दौरे के तत्काल पूर्व उस दूसरे सदस्य राज्य का निवासी है अथवा था, उससे ऐसे प्रयोजनार्थ उस सदस्य राज्य में किसी भी पारिश्रमिक पर दूसरे सदस्य राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी सदस्य राज्य का निवासी तभी माना जाएगा जब वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे सदस्य राज्य का दौरा करता/ करती है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस सदस्य राज्य का निवासी रहा/ रही हो ।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान" का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसे इस संबंध में संबंधित सदस्य राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

अनुच्छेद - 9

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी को जो दूसरे किसी सदस्य राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक सदस्य राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे सदस्य राज्य में उपस्थित है, दूसरे सदस्य राज्य में अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों और महिला/पुरूष के रख-रखाव शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस राज्य के बाहर दूसरे स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य भुगतान के अलावा उस पारिश्रमिक पर जो वह रोजगार से प्राप्त करता है तथा जिसे वह दूसरे सदस्य राज्य में प्रयोगं में लाता है, यदि नियोजन सीधे तौर पर उसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है, कर से छूट प्राप्त होगी।

2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के अंतर्गत रोजगार से पारिश्रमिक के संबंध में उपलब्ध छूट प्रतिवर्ष 3000/- अमरीकी डालर की राशि से अधिक नहीं होगी ।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल उस समयावधि तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा प्रथानुसार अपेक्षित हो, किन्तु फिर भी किसी भी स्थिति में, कोई व्यष्टि इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे सदस्य राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लेकर लगातार छह वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा ।

अनुच्छेद - 10

प्रशिक्षण

1. सदस्य राज्य निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कर प्रशासकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे :

(i) वरिष्ठ कर प्रशासकों से मिलने तथा आम लोगों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य फोरम मुहैया कराना ;

(ii) कर प्रशासकों की कार्यकुशलता और प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी को बढ़ाना ; और

(iii) सार्क क्षेत्र में कर परिहार/अपवंचन जैसी सामान्य कर समस्याओं से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करना ।

अनुच्छेद - 11

कर नीति की भागीदारी

1. प्रत्येक सदस्य राज्य अपने कर कानूनों में किए गए परिवर्तनों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा । यह सदस्य राज्यों के बीच परिचालन के लिए नई प्रणालियों अथवा तकनीकियों की भूमिका को भी शामिल करेगा ।

2. एक सदस्य राज्य अनुरोध करने पर दूसरे सदस्य राज्यों को विधान में संशोधन और सुव्यवस्था, कर-प्रक्रियाओं, प्रचालानात्मक प्रबंधन, जॉब पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग कार्यक्रम, सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी आदि के प्रयोजनार्थ अपने प्रतिभाशाली विशेषज्ञों का समूह उपलब्ध कराएगा ।

अनुच्छेद - 12

क्रियान्वयन

सदस्य राज्य जैसा भी उचित हो, इस करार के कारगर क्रियान्वयन के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगे ।

अनुच्छेद 13

पुनरीक्षण

इस करार के पुनरीक्षण के लिए सदस्य राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर अथवा इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर तभी मिल सकते हैं, जब तक कि वे लिखित में, सार्क सचिवालय को ऐसे पुनरीक्षण की आवश्यकता के लिए सूचित नहीं कर देते।

अनुच्छेद 14

संशोधन

इस करार में सर्वसम्मति द्वारा संशोधन किया जा सकता है । ऐसा कोई भी संशोधन सभी सदस्य राज्यों द्वारा सार्क के महासचिव के समक्ष स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों को निक्षेप करने तथा सार्क सचिवालय द्वारा उसके संबंध मे अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही प्रभावी होगा । इस तरह का संशोधन सदस्य राज्यों में सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचना के जारी होने के उसके आगामी संबंधित वित्तीय वर्ष के आरम्भ की तारीख से लागू होगा ।

अनुच्छेद 15

न्यासी

यह करार सार्क के महासचिव के समक्ष निक्षिप्त रहेगा । जो प्रत्येक सदस्य राज्य को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद 16

लागू होना

1. यह करार, सभी सदस्य राज्यों और सार्क सचिवालय द्वारा उसके संबंध में अधिसूचनाओं के जारी होने पर अनुसमर्थन सहित, जहां-कहीं भी लागू हों, औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद तीसवें दिन में लागू होगा ।

2. इस करार के उपबंध निम्नलिखित रूप से प्रभावी होंगे :

(i) **बंगलादेश में**

(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में ;

(ख) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में ;

(ii) **भूटान में :**

(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में;

(ख) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में;

(iii) **भारत में**, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(iv) **मालदीव में**, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(v) **नेपाल में**, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती मध्य-जुलाई में प्रारंभ होने वाले नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाली आय के किसी भी वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में ;

(vi) **पाकिस्तान में** :

(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में;

(ख) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में; और

(vii) **श्री लंका में** जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाली आय के संबंध में ।

अनुच्छेद 17

समाप्ति

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, जबतक कि किसी सदस्य राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । कोई भी सदस्य राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन की सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(i) **बंगलादेश में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में;

(ii) **भूटान में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(iii) **भारत में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(iv) **मालदीव में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(v) **नेपाल में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती मध्य-जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;

(vi) **पाकिस्तान में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ; और

(vii) **श्रीलंका में**, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

ढाका, बंगलादेश में वर्ष दो हजार पांच के नवम्बर माह के तेरहवें दिन अंग्रेजी भाषा की नौ मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

विदेश मंत्री
बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार

विदेश मंत्री
भूटान की शाही सरकार

विदेश मंत्री
भारत गणराज्य

विदेश मंत्री
मालदीव गणराज्य

विदेश मंत्री
महामहिम नेपाल सरकार

विदेश मंत्री
पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य

विदेश मंत्री
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

प्रोतोकोल

औपचारिक रूप से, सार्क लिमिटेड बहुपक्षीय करार, कर मामलों संबंधी करार में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता और दोहरे कराधान के परिहार के लिए केवल सदस्य राज्यों में लागू होगा जहां पर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर ढांचा हो । इसके आगे, यदि किसी सदस्य राज्य के मामले में जहां पर ऐसा कर ढांचा नहीं है, वहां पर यह करार उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से ऐसा सदस्य राज्य उचित प्रत्यक्ष कर ढांचा आरंभ करता है और इस संबंध में सार्क सचिवालय को सूचित करता है ।

इसके अलावा, इस सीमित बहुपक्षीय करार और सदस्य राज्यों के बीच किसी द्विपक्षीय दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के उपबंधों के बीच विवाद की स्थिति में बाद की तारीख में हस्ताक्षरित या संशोधित करार के उपबंध प्रभावी होंगे ।

ढाका, बंगलादेश में वर्ष दो हजार पांच के नवम्बर माह के तेरहवें दिन अंग्रेजी भाषा की नौ मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

विदेश मंत्री बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार	विदेश मंत्री भूटान की शाही सरकार
विदेश मंत्री भारत गणराज्य	विदेश मंत्री मालदीव गणराज्य
विदेश मंत्री महामहिम नेपाल सरकार	विदेश मंत्री पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य

विदेश मंत्री
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

अनुसूची I

करार के सदस्य राज्य

1.	बंगलादेश लोक गणराज्य
2.	किंगडम ऑफ भूटान
3.	भारत गणराज्य
4.	मालदीव गणराज्य
5.	किंगडम ऑफ नेपाल
6.	पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य
7.	श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य

अनुसूची II

करार के अंतर्गत आने वाले कर

जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे इस प्रकार हैं :

1.	बंगलादेश में	आय पर कर जो कि प्रत्यक्ष कर है
2.	भूटान में	आयकर अधिनियम, 2001 और उससे संबंधित नियमों के अंतर्गत लगाया गया आयकर
3.	भारत में	आयकर जिनमें उस पर लगा कोई अधिभार भी शामिल है
4.	मालदीव में	आय पर कर जो कि प्रत्यक्ष कर है
5.	नेपाल में	आयकर अधिनियम, 2058 के अंतर्गत लगाया गया आयकर
6.	पाकिस्तान में	आय पर कर
7.	श्रीलंका में	आयकर जिसमें ऐसी आय पर लगाया गया कर भी शामिल हो जो निवेश बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्त किए गए उद्यमों की आय से प्राप्त हुआ हो ।

अनुसूची III

सक्षम प्राधिकारी

"सक्षम प्राधिकारी" शब्द से तात्पर्य है :

1.	बंगलादेश में	राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
2.	भूटान में	वित्त मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
3.	भारत में	वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
4.	मालदीव में	देशीय राजस्व विभाग, वित्त एवं कोषागार मंत्रालय
5.	नेपाल में	महामहिम नेपाल सरकार, वित्त मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
6.	पाकिस्तान में	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
7.	श्रीलंका में	महाआयुक्त देशीय राजस्व

अनुसूची IV

वित्तीय वर्ष

"वित्तीय वर्ष" शब्द से तात्पर्य है :

1.	बंगलादेश के मामले में	1 जुलाई - 30 जून
2.	भूटान के मामले में	1 जुलाई - 30 जून
3.	भारत के मामले में	1 अप्रैल - 31 मार्च
4.	मालदीव के मामले में	1 जनवरी - 31 दिसम्बर
5.	नेपाल के मामले में	मध्य जुलाई से प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष
6.	पाकिस्तान के मामले में	1 जुलाई - 30 जून
7.	श्रीलंका के मामले में	1 अप्रैल - 31 मार्च ।